

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

**Rule 7 : Rate of tax of the composition levy**

The category of registered persons, eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter, specified in column (2) of the Table below shall pay tax under section 10 at the rate specified in column (3) of the said Table:

<sup>1</sup>[Table

<b>Sl. No.</b>	<b>Section under which composition levy is opted</b>	<b>Category of registered persons</b>	<b>Rate of tax</b>
<b>(1)</b>	<b>(1A)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>1.</b>	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	half per cent. of the turnover in the State or Union territory
<b>2.</b>	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent. of the turnover in the State or Union territory
<b>3.</b>	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy	half per cent. of the turnover of taxable

- 1 Substituted by Noti. No. 50/2020–Central Tax, dt. 24-06-2020 w.e.f. 01-04-2020. Earlier to substitution table read as under:

<b>Sl. No.</b>	<b>Category of registered persons</b>	<b>Rate of tax</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>1.</b>	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	<sup>A</sup> [half per cent. of the turnover in the State or Union territory]
<b>2.</b>	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	<sup>B</sup> [two and a half per cent. of the turnover in the State or Union territory]
<b>3.</b>	Any other supplier eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter	<sup>C</sup> [half per cent. of the turnover of taxable supplies of <sup>P</sup> [goods and services] in the State or Union territory]"

- A** Earlier Substituted for "one per cent." by Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018, w.e.f. 01-01-2018.  
**B** Earlier Substituted for "two and a half per cent." by Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018, w.e.f. 01-01-2018.  
**C** Earlier Substituted for "half per cent" by Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018, w.e.f. 01-01-2018.  
**D** Earlier Substituted for "goods" by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

		under sub-sections (1) and (2) of section 10	supplies of goods and services in the State or Union territory
<b>4.</b>	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10	three per cent. of the <sup>2</sup> [turnover of] taxable supplies of goods and services in the State or Union territory.]

—————

---

**2** Corrigendum, dt. 25-06-2020 for “turnover of taxable” by corrigendum to Noti. No. 50/2020-Central Tax, dt. 24-06-2020.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 7 : संयुक्त उद्ग्रहण की कर की दर**

धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के प्रवर्ग धारा 10 के अधीन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करेगा :

<sup>1</sup>तालिका

क्रम संख्या	धारा जिसके तहत संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प चुना गया है	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1क)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, भिन्न विनिर्माता	राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाला पूर्तिकार	राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में कारोबार का ढाई फीसदी

- 1 अधिसूचना क्रमांक 50/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा तालिका प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)।  
प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

तालिका

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	A[राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त का आधा प्रतिशत्]
2.	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले पूर्तिकार	B[राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त का ढाई प्रतिशत्]
3.	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	C[राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में D[माल और सेवा] का व्यापारावर्त का आधा प्रतिशत् शब्द रखे जाएंगे]

- A अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा "एक प्रतिशत्" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2018)।  
B अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा "ढाई प्रतिशत्" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2018)।  
C अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा "आधा प्रतिशत्" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2018)।  
D अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा "माल" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी
4.	धारा 10 की उपधारा (2क)	पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उद्ग्रहण के पात्र नहीं है, लेकिन धारा 10 के उपधारा (2ए) के तहत कर संदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं।	राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में माल और सेवाओं की <sup>2</sup> [आपूर्तियों] के कारोबार का तीन फीसदी ]

2 अधिसूचना क्रमांक 50/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा "कर योग्य आपूर्तियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित। इस हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 25.06.2020 प्रकाशित।